न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 157 / 2019

महादेव पुत्र उगमा जाति मीणा निवासी आमली तहसील सावर जिला अजमेर राज.

———प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. देवकरण पुत्र कल्याण गुर्जर निवासी आमली
2. मथरालाल पुत्र किशनलाल गुजर
3. बन्नालाल पुत्र गोदू गुजर
4. उददा पुत्र जमना गुजर
5. सुगना पुत्र कल्याण गुजर
6. देवी पुत्र हरनाथ कुमावत निवासी आमली तहसील सावर जिला अजमेर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर राज.

—— अप्रार्थीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री विकास पंचोली (आर.ए.एस)

उपस्थित:—

प्रार्थी वकील :— श्री हेमराज कानावत

पेराकार सरकार :— जरिये तहसीलदार सावर

आदेश

दिनांक 25.01.2022

प्रार्थी द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम आमली पटवार हल्का आमली गिरदावर हल्का पीपलाज तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है।** आराजी की जमाबन्दी संवत **2075**— में दर्ज अंकन निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:—

खाता संख्या (नया—पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
305—284	1164	0.05	बा.1
	1166	0.09	बा.1
	1168	0.29	बा.1
	1169	0.37	बा.1
	1170	0.15	बा.1
	1171	0.03	गे.मु.
	1172	0.81	चाह
	1173	0.40	बा.1
	1174	0.17	बा.1
	1175	0.39	बा.1
	1217	0.03	बा.1
	1223	0.02	गै.मु.
	1224	0.12	खडडा
	1225	0.02	बा.1
	1226	[illegible]	बा.1
	कुल किता 15	कुल रकबा 2.96 है.	बा.1

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.03.14 17:35:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

उक्त आराजीयात प्रार्थी को खातेदारी एंव कब्जे काश्त की आराजीयात है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी स. 2075 में उक्त आराजीयात प्रार्थी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकन हो रखा है। उक्त आराजीयात मौके पर ही स्थान पर स्थित है। मौके पर प्रार्थी उक्त आराजीयात पर भौतिक रूप से काबिज चला आ रहा है। उक्त आराजीयात से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता सरोकार नहीं है लेकिन अप्रार्थीगण उक्त आराजीयात के पडोसी है, और अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की आराजी के कुछ हिस्से को जबरन लाठी की ताकत पर दबा रखी है जिससे प्रार्थी को अपनी खातेदारी की आराजीयात के सम्पूर्ण रकबा को काश्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा पत्थरगढी नहीं होने की संभावना बनी रहती है। जिससे उक्त आराजीयात के रकबा 23.96 है. की स्थाई पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित व न्यायहित में अति आवश्यक हो गया है जिससे प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया किया। अप्रार्थी स. 7 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुयें, उन्हें सुना गया। अप्रार्थीगण स. 1–6 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुये। पेरोकार सरकार द्वारा आदेशिका पर अंकित किया है कि संलग्न जमाबन्दी प्रतिलिपी अनुसार प्रार्थना पत्र में दर्ज आराजी खातेदारी भूमि है। प्रकरण में कोई पत्थरगढी आदेश किये जाने में कोई राजहित प्रभावित नहीं होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर वाके ग्राम आमली तहसील सावर की जमाबन्दी संवत 2075– के खाता संख्या नया पुराना 305–284 कुल किता 15 कुल रकबा 2.96 है. की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.03.14 17:35:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner